

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-07/2024/I/798726/37-3099/8/2023 दिनांक 18-11-2024 के आधार पर डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मसी/लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) दिए जाने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप ।

क्र०सं०	वांछित बिंदु	आख्या
1	2	3
1	समिति/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी का नाम और पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई मेल और वेबसाइट सहित । (रजिस्ट्रेशन डीड संलग्न करें)	
2	संबद्धता चाहने वाले समिति/संस्था /ट्रस्ट/कंपनी का नाम और पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई मेल और वेबसाइट सहित ।	
3	डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए एन०ओ०सी० मांगी गयी है :- 1. पशुचिकित्सा फार्मसी में डिप्लोमा या 2. पशुधन विस्तार में डिप्लोमा अथवा 1 और 2 दोनों	
4	उपलब्ध भूमि का विवरण (शासनादेश संख्या-07/2024/I/798726/37-3099/8/2023 दिनांक 18-11-2024 के अनुसार न्यूनतम 05 एकड कि अतिक्रमण मुक्त सहयुक्त पंजीकृत भूमि) समिति/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी के स्वामित्व में होनी चाहिए, जिसमे से न्यूनतम 1200 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक उपयोग हेतु संपरिवर्तित हो (यदि भूमि संस्था के पास लीज पर है, तो कृपया लीस डीड संलग्न कि जाये तथा लीज के वर्षो कि संख्या अंकित की जाये) भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड, खाता संख्या/गाटा संख्या/रकबा एवं शजरा (राजस्व नक्शे की) सत्यापित प्रति संलग्न की जाये	

5	<p>प्रशासनिक, शैक्षणिक, पशु चिकित्सा अस्पताल और पुस्तकालय भवनों का विवरण, जिसमें कवर किया गया क्षेत्र शामिल हैं। (बुनियादी ढाचा शासनादेश संख्या-07/2024/I/798726 /37-3099/8/2023 दिनांक 18-11-2024 के प्रस्तर-9 के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए, संबंधित दस्तावेज संलग्न करे) किस भूमि गाटा संख्या/रकबा में भवन निर्मित है, का विवरण संलग्न करे। भूमि/भवन का संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन आवेदन से पूर्व अनिवार्य होगा।</p>	
6	<p>समिति/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी के प्रबंधन का विवरण:-</p> <p>क. क्या ट्रस्ट या सोसाइटी उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1976 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है (स्वा-सत्यापित प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करे)</p> <p>ख. प्रबंध समिति/शासी निकाय का गठन एवं संरचना तथा उसकी शक्तियां: (विवरण संलग्न करे)</p> <p>ग. उपरोक्त बिंदु 03 में उल्लिखित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए 01 नया कॉलेज/संस�ान खोलने के लिए प्रबंध समिति/शासी निकाय का संकल्प/प्रस्ताव (स्वा-सत्यापित प्रति संलग्न करे)</p> <p>घ. समिति/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी के सभी पदाधिकारियों के नाम और पते, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई मेल सहित</p>	
7	<p>समिति/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा उसी कैंपस में चलाये जा रहे शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण।</p>	

8	उपलब्ध धनराशि, आय के स्रोत, भावी संसाधन, अनुमानित व्यय और आय, अचल और तरल संपत्ति, खातों का विवरण (पासबुक कि फोटोकॉपी संलग्न करें), पुरानी समिति/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी होने कि दशा में पैन/टेन, नवीनतम आयकर रिटर्न, राशी दर्शाने वाला विस्तृत वित्तीय विवरण-पिछले 03 वर्षों कि बैलेंस शीट (प्रासंगिक प्रमाण संलग्न करें)	
9	पंजीकरण शुल्क (गैर-वापसी योग्य- ₹ 4.00 लाख) प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।	
10	बैंक गारेंटी (वापसी योग्य- ₹ 20.00 लाख), एन०ओ०सी० जारी होने के साथ कार्य दिवसों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।	
11	निरिक्षण शुल्क (₹ 01.00 लाख) प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें	
12	परियोजना लागत- क. भूमि की पूँजीगत लागत ख. भवन/इमारत ग. संयंत्र और मशीनरी घ. पशुचिकित्सा/वौजानिक और सम्बद्ध उपकरण ई. फर्नीचर और फिक्सचर च. प्रारंभिक और प्रीऑपरेटिव खर्च	
13	परियोजना के वित्तपोषण के साधन- क. आवेदक का योगदान ख. अनुदान ग. दान घ. हिस्सेदारी ई. सावधि ऋण च. अन्य श्रोत (यदि कोई हो)	

14	समस्त सुविधायुक्त संस्थान भवन, चिकित्सालय, शौचालय (प्रसाधन)/ पुस्तकालय एक ही परिसर में संस्थान के स्वयं के स्वामित्व कि संस्थानिक परिवर्तित भूमि होने का प्रमाण-पत्र ।	
15	भवन कि सुरक्षा का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी यथा-सार्वजनिक निर्माण विभाग/ पंचायत समिति/नगर निकाय में कार्यरत सक्षम अभियंता (न्यूनतम सहायक अभियंता) से लिया जाना आवश्यक है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। (यदि भवन का निर्माण पहले से है तो)	
16	भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रि सुरक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाये तथा समय-समय पर इसका नवीनीकरण कराया जाये। (यदि भवन का निर्माण पहले से है तो)	
17	वर्षा जल संचयन कि समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र	
18	अन्य विवरण, यदि कोई हो तो	

नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर
मोहर

- पंजीकरण शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय होगा ।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (सुसंगत अभिलेखों सहित) पंजीकृत डाक के माध्यम से 02 प्रतियों में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ-226007 को प्रेषित करें ।